डीसीपी रंजीता शर्मा ने सुनी आमजन की पीड़ा

जयपुर। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने शनिवार को जवाहर सर्किल थाने में जनसुनवाई कर परिवादियों की समस्याएं सुनीं। दोपहर 1 से 3 बजे तक आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे और अपनी शिकायतें एवं समस्याएं पुलिस उपायुक्त के समक्ष रखीं। डीसीपी ने परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कई परिवादों का मौके पर ही समाधान कर परिवादियों को राहत प्रदान की गई।जनसुनवाई में बजाज नगर, मालवीय नगर, खोह नागोरियान, जवाहर सर्किल और एयरपोर्ट थाना क्षेत्रों से संबंधित परिवादी शामिल हुए। परिवादियों ने विभिन्न मामलों से जुड़ी अपनी समस्याएं पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखीं। डीसीपी ने संबंधित थाना अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी लेते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने अधिकारियों को परिवादियों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान पुलिस की प्राथमिकता है और जनसुनवाई के माध्यम से लोगों को अपनी शिकायत सीधे पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिलता है।

एस.आई. परीक्षा में सेंधमारी का दावा करने वाला वीडियो फर्जी निकला

पुलिस जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो आरपीएससी की एसआई परीक्षा का नहीं, बल्कि अगले दिन कलाम एकेडमी की ओर से आयोजित आरएएस के मॉक टेस्ट का था।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की उप निरीक्षक (एसआई)/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी का दावा कर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर दक्षिण जिला पुलिस की जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो आरपीएससी की एसआई परीक्षा का नहीं, बल्कि अगले दिन कलाम एकेडमी की ओर से आयोजित आरएएस के मॉक टेस्ट का था।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण संजीव नैन ने बताया कि आरपीएससी की शिकायत पर अजमेर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज जीरो नंबर एफआईआर जयपुर के महेश नगर थाने में स्थानांतरित होकर मिली थी। मामले में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 की धारा 10(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एसआईयूसीएडब्ल्यू) जिज्ञासा को सौंपी गई।

■ **जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति ने 20 सितंबर को आरपीएससी की एसआई परीक्षा दी ही नहीं थी और वह 21 सितंबर को केवल कोचिंग का मॉक टेस्ट देने पहुंचा था। पुलिस अब वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान और तलाश में जुटी है।**

20 सितंबर को प्रदेश के 11 जिलों में आरपीएससी की एसआई भर्ती पुनः परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें परीक्षा कक्ष के व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग के साथ मोबाइल से प्रश्न-पत्र और ओएमआर शीट दिखाने का दावा किया गया। वीडियो में परीक्षा केंद्र कोड 16-0253 और रोल नंबर सीरीज 3796881 से 3796904 दिखाई दे रही थी। केंद्र कोड कल्याण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर का था।

पुलिस जांच में सामने आया कि कल्याण पब्लिक स्कूल ने प्रतियोगी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट के लिए कलाम एकेडमी, जयपुर से अनुबंध कर रखा है। गत 20 सितंबर को आरपीएससी की परीक्षा समाप्त होने के बाद स्कूल प्रशासन ने बेसमेंट-ए के व्हाइट बोर्ड पर लिखे केंद्र कोड और रोल नंबर सीरीज को नहीं मिटाया था।

अगले दिन 21 सितंबर को इसी स्थान पर कलाम एकेडमी ने आरएएस का मॉक टेस्ट आयोजित किया।

जांच के अनुसार आरोपी ने 21 सितंबर को मॉक टेस्ट के दौरान वीडियो बनाया। बोर्ड पर पहले दिन की आरपीएससी परीक्षा से संबंधित विवरण दिखाई देने के कारण उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर गलत दावे के साथ प्रसारित कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति ने 20 सितंबर को आरपीएससी की एसआई परीक्षा दी ही नहीं थी और वह 21 सितंबर को केवल कोचिंग का मॉक टेस्ट देने पहुंचा था।

डीसीपी दक्षिण संजीव नैन के निर्देशन में महेश नगर थानाधिकारी हवा सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान और तलाश में जुटी है। पुलिस ने कहा कि परीक्षा को लेकर भ्रामक या फर्जी जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

6.80 करोड़ के ''बॉस स्कैम'' मामले में आरोपी लक्ष्मण सिंह बीकानेर से गिरफ्तार

खाते, एटीएम व सिम उपलब्ध कराने के साथ गिरोह के सदस्यों की लॉजिस्टिक व्यवस्था संभालता था आरोपी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान पुलिस के सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर ने 6.80 करोड़ रुपए के चर्चित 'बॉस स्कैम' साइबर ठगी प्रकरण में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीकानेर से लक्ष्मण सिंह उर्फ नीशू को पकड़ा है। आरोप है कि वह साइबर ठगों को बैंक खाते, एटीएम और सिम उपलब्ध कराने के साथ गिरोह के सदस्यों के रहने-ठहरने और अन्य लॉजिस्टिक इंतजाम करता था। इस मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

लक्ष्मण सिंह उर्फ नीशू

डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह के अनुसार गिरोह साइबर ठगी की रकम को म्यूल बैंक खातों, एटीएम, चेक, यूपीआई, क्यूआर कोड, डिजिटल वॉलेट और यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के जरिए अलग-अलग स्तरों पर घुमाता था। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बैंक खाते, पासबुक, एटीएम, चेकबुक और सिम की किट उपलब्ध कराई जाती थी। रकम आने के बाद उसे तत्काल नकद निकाला या दूसरे खातों में ट्रांसफर किया जाता था। कई खातों में लेयरिंग के बाद रकम को बिनेंस जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम पर उपलब्ध क्यूआर कोड के जरिए यूएसडीटी में बदलकर आगे भेजा जाता था।गिरोह फर्जी पहचान अथवा वॉट्सऐप पर कंपनी के उच्च अधिकारी या बॉस की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर कर्मचारियों को विश्वास में लेता था। इसके बाद भुगतान या ट्रांसफर के निर्देश देकर ठगी की रकम म्यूल खातों में पहुंचाई जाती थी। जांच में सामने आया है कि इस मामले में साइबर अपराधियों ने कंपनी के निदेशक की पहचान और पुरानी वॉट्सऐप बातचीत का इस्तेमाल कर अकाउंट्स हेड से करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवाए थे।पूछताछ में लक्ष्मण सिंह ने पुलिस को बताया कि वह टेलीग्राम के 'एफटूएफ जयपुर दिल्ली' ग्रुप के जरिए साइबर ठगों के संपर्क में आया था। उसका काम रींगस और बीकानेर आने वाले गिरोह के सदस्यों को रिसीव करना, होटल में ठहराना और लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

■ **पुलिस अब वॉट्सऐप, टेलीग्राम रिकॉर्ड, सीडीआर, आईपीडीआर और बैंकिंग मनी ट्रेल का विश्लेषण कर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क का पता लगा रही है।**

पुलिस के अनुसार 23 अगस्त 2026 को संदीप कुमार के रींगस आने पर लक्ष्मण ने दीपक सिंह और युवराज सिंह के जरिए उसे होटल में ठहराया। इसके बाद संदीप से बैंक खाता, एटीएम, पासबुक, चेकबुक और लिंक सिम लेकर उसकी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में साझा की गई। सिम को दूसरे मोबाइल में लगाकर एपीके लिंक के जरिए बैंकिंग लेन-देन कराया गया और ठगी की रकम ट्रांसफर की गई। इस काम के बदले लक्ष्मण को 1000 रुपए प्रतिदिन तथा काम सफल होने पर 5000 रुपए अतिरिक्त बोनस मिलता था।

पुलिस अब वॉट्सऐप, टेलीग्राम रिकॉर्ड, सीडीआर, आईपीडीआर और बैंकिंग मनी ट्रेल का विश्लेषण कर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क का पता लगा रही है।

सरोज कंवर बनीं जयपुर की पहली महिला उपमहापौर

150 में से 89 वोट मिले, कांग्रेस उम्मीदवार सलमान मंसूरी को मिले 58 वोट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर नगर निगम में शनिवार को उपमहापौर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सरोज कंवर निर्वाचित हुईं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सलमान मंसूरी को 31 मतों के अंतर से हराया। सरोज कंवर को 89 और सलमान मंसूरी को 58 वोट मिले। एक मत नोटा को गया, जबकि एक मत खारिज हुआ। कुल 150 पार्षदों में से 149 ने मतदान में हिस्सा लिया।

■ **एक पार्षद ने नोटा को वोट किया, जबकि एक वोट खारिज हुआ**

जयपुर की पहली उपमहापौर सरोज कंवर ने शनिवार को चुनाव जीतने के बाद पदभार ग्रहण किया।

नगर निगम सभासद भवन में रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार के निर्देशन में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुई। मतदान दोपहर 2.30 बजे शुरू हुआ।

चुनाव को देखते हुए नगर निगम मुख्यालय में थ्री-लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदान के बाद मतगणना की गई। रिटर्निंग अधिकारी के अनुसार 148 मत विधिमान्य पाए गए, जबकि एक मत नोटा के पक्ष में था। सरोज कंवर को सर्वाधिक 89 मत मिलने पर उन्हें राजस्थान नगरपालिका नियमों की अनुसूची-6 के नियम 87 के उपनियम (6) के प्रावधानों के तहत विधिवत उपमहापौर निर्वाचित घोषित कर प्रमाणपत्र जारी किया गया।

पहली महिला उपमहापौर

सरोज कंवर जयपुर नगर निगम के इतिहास में उपमहापौर पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। वे पहली बार पार्षद चुनी गईं और इसके बाद उपमहापौर पद तक पहुंचीं।

सरोज कंवर भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री रणजीत सिंह सोडाला की पत्नी हैं। रणजीत सिंह रावणा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा ने पहली बार सरोज कंवर को पार्षद का टिकट दिया था।

एक पार्षद नहीं पहुंची मतदान करने

कांग्रेस पार्षद वंदिता शर्मा पैर में चोट के कारण मतदान के लिए नगर निगम मुख्यालय नहीं पहुंच सकीं। इस कारण 150 में से 149 पार्षदों ने मतदान किया। मतदान में एक वोट नोटा और एक वोट खारिज हुआ।

बसों से निगम पहुंचे भाजपा पार्षद

भाजपा के पार्षद पिछले करीब 15 दिनों से प्रशिक्षण शिविर में थे। शनिवार को उन्हें बसों के जरिए एक साथ नगर निगम मुख्यालय लाया गया। मतदान और मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा पार्षद प्रशिक्षण शिविर से अपने घरों के लिए रवाना हुए। कांग्रेस पार्षदों ने भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नगर निगम मुख्यालय में मौजूद नहीं रहे।

मेयर पद भी भाजपा के पास

उपमहापौर चुनाव से एक दिन पहले शुक्रवार को हुए महापौर चुनाव में भाजपा के सुनील कोठारी ने कांग्रेस की सुनीता मावर को 29 मतों से हराया था। कोठारी को 89 और सुनीता मावर को 60 वोट मिले थे। उपमहापौर पद पर सरोज कंवर की जीत के साथ जयपुर नगर निगम के महापौर और उपमहापौर दोनों पद भाजपा के पास हैं।

संबंध खत्म करना, फोन ब्लॉक करना या किसी अन्य से संबंध होना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान माना है कि आपसी संबंध टूटना, बातचीत बंद कर फोन ब्लॉक करना या आरोपी का किसी अन्य महिला के साथ संबंध होना आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता।

इन परिस्थितियों को केवल भावात्मक आघात मान सकते हैं ना कि आत्महत्या के लिए उकसाना। हालांकि यह अलग बात है कि व्यक्तिगत संबंधों के स्तर पर आरोपी का ऐसा व्यवहार असंवेदनशील, दुखदायक या नैतिक रूप से निंदनीय माना जा सकता है, लेकिन यह मृतका को आत्महत्या के लिए कानूनी रूप से उकसाने के बराबर नहीं माना जा सकता। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश आरोपी दिनेश मेहरा को जमानत देते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि मृतका और आरोपी एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, उनके बीच लंबे समय तक संबंध रहे थे। घटना से पहले उनके बीच बातचीत बंद हो गई थी, आरोपी ने मृतका के फोन नंबर ब्लॉक कर दिए थे। मृतका इससे आहत थी कि आरोपी का जुड़ाव किसी अन्य महिला से है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले बनाए वीडियो से भी मृतका की यही पीड़ा और आक्रोश झलकता है। अदालत ने मानवीय व्यवहार की जटिलता टिप्पणी करते हुए कहा कि रिश्तों में अलगाव, अस्वीकृति या ईर्ष्या के प्रति हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है।

■ **संबंध खत्म करना, फोन ब्लॉक करना या किसी अन्य से संबंध होना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं : हाईकोर्ट**

कानून हर उस परिस्थिति को दंडनीय अपराध नहीं बनाता जो किसी को गहरा भावनात्मक दुख या ठेस पहुंचाए। आपराधिक दायित्व के लिए विधिक तौर पर दोषपूर्ण आचरण का होना जरूरी है, न कि केवल नैतिक अस्वीकृति का। मामले से जुडे अधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। निचली कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

''न्याय में देरी, न्याय से इंकार के समान'' यह कहावत नहीं राजस्व अदालतों की वास्तविकता है : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व अदालतों में कई सालों से लंबित मुकदमों को लेकर कडी टिप्पणी करते हुए चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि कहावत है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि राजस्व अदालतों की वास्तविकता है। यह दुखद स्थिति है कि आधी सदी से भी अधिक समय तक मामलों का निस्तारण नहीं होता है। वर्तमान मामला प्रणाली की उदासीनता और लापरवाही का एक ज्वलंत उदाहरण है कि प्रकरण का निस्तारण 63 साल से नहीं हुआ है। इतने समय में पीढियां बदल गई और मुकदमेबाज मर चुके हैं, लेकिन मामला फाइल पर अभी भी जीवंत है। अदालत ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि कब्जे को लेकर दायर शिकायत का 63 साल से निपटारा नहीं हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने एसडीएम मंडावर, दौसा को निर्देश दिए हैं कि वह लंबित शिकायत का तीन माह में निस्तारण करें। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी पक्ष ने मामला स्थगित करने की प्रार्थना की तो उस पर कम से कम एक लाख रुपए की कोस्ट लगाई जाएगी। अदालत ने संबंधित पीठासीन अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि तय अवधि में मामला तय नहीं हुआ तो राजस्व मंडल व कार्मिक विभाग उचित कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश जयराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ **राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व अदालतों में कई सालों से लंबित मुकदमों को लेकर कडी टिप्पणी करते हुए चिंता जताई**

याचिकाकर्ता से जुडे अधिवक्ता कवाल सिंह लोहा ने बताया कि यह पूरा विवाद दौसा के पाटरखेडा गांव में 238 बीघा भूमि से जुडा हुआ है। याचिकाकर्ता परिवार का दावा है कि इस जमीन में उनका छठा हिस्सा है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर करीब 63 साल पहले सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्रवाई आरंभ हुई थी। इसके बाद पूरी जमीन सरकारी निगरानी में चली गई और इस पर रिसीवर नियुक्त हो गया। इसके बाद से परिवार जमीन के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई लड रहा है।

राजस्थान के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को गोल्ड स्कॉच अवार्ड

नई दिल्ली/जयपुर। राजस्थान सरकार के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस) के सफल क्रियान्वयन के लिए ''गोल्ड स्कॉच अवार्ड'' से सम्मानित किया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर के सिल्वर ऑक हॉल में आयोजित स्कॉच फाउंडेशन के 109वें समिट में फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर कोचर ने यह पुरस्कार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निदेशक अपूर्व जोशी तथा विभागीय प्रतिनिधियों ओम प्रकाश शर्मा, गौरव गुप्ता एवं सुनीता बराड़ को प्रदान किया।

स्कॉच फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर कोचर ने राजस्थान सरकार के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को गोल्ड स्कॉच अवार्ड से नवाजा। यह पुरस्कार विभाग के निदेशक अपूर्व जोशी तथा विभागीय प्रतिनिधियों ओम प्रकाश शर्मा, गौरव गुप्ता एवं सुनीता बराड़ ने ग्रहण किया।

ज्ञात रहे कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन तथा हितग्राही परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ए.एम.एस. विकसित किया है।

इसके माध्यम से पंचायती राज, नगरीय निकाय, विश्वविद्यालयों और देवस्थान विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं के ऑडिट की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई है।

एएमएस के जरिए अंकेक्षण दलों का गठन, अंकेक्षण की प्लानिंग, एक्जीक्यूशन और अनुपालन संबंधी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इससे अंकेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने तथा सरकारी व्यवस्था को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है।

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या प्लाट नं. 82 गोपाल विहार गोनेर रोड जयपुर ओरिजनल रजिस्ट्री कहीं गुम हो गए है। मिलने पर सूचित करें। मनु भाई परमार पुत्र सोना भाई परमार 4356 बगला भवन अनाज मण्डी के पीछे नथमलजी चौक जौहरी बाजार, जयपुर फोन नं. 9887683778

नाम परिवर्तन

मैं वसीम खान, निवासी फ्लैट-89, सुंदर नगर, झोटवाड़ा खातीपुरा रोड, जयपुर घोषित करता हूँ कि मेरे पुत्र मोहम्मद अनीस पठान का नाम बदलकर मो. अनीश पठान हो गया है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में वह इसी नाम से जाना जाए।

मैं, सुनील कुमार बराला, निवासी 18A, वृंदावन विहार, माचेडा, हरमाड़ा, जयपुर, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना नाम सुनील कुमार से बदलकर सुनील कुमार बराला रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे उपरोक्त सुनील कुमार बराला के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

मैं, पूनम आण्णासो शेजाळ पत्नी सेना क्रमांक JC732804P, पद सुबेदार, शेजाळ आण्णासो कृष्णाप्पा, निवासी ग्राम खलाटी, तहसील जत, जिला सांगली, महाराष्ट्र, ने अपने पति के सेवा अभिलेखों में अपना नाम पूनम शेजाळ से बदलकर पूनम आण्णासो शेजाळ कर लिया है, जो भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

मैं, वैष्णवी आण्णासो शेजाळ पुत्री सेना क्रमांक JC732804P, पद सुबेदार, शेजाळ आण्णासो कृष्णाप्पा, निवासी ग्राम खलाटी, तहसील जत, जिला सांगली, महाराष्ट्र, ने अपने पिता के सेवा अभिलेखों में अपना नाम वैष्णवी शेजाळ से बदलकर वैष्णवी आण्णासो शेजाळ कर लिया है, जो भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

मैं, आदित्य आण्णासो शेजाळ, पुत्र सेना क्रमांक JC732804P, पद सुबेदार, शेजाळ आण्णासो कृष्णाप्पा, निवासी ग्राम खलाटी, तहसील जत, जिला सांगली, महाराष्ट्र, ने अपने पिता के सेवा अभिलेखों में अपना नाम आदित्य शेजाळ से बदलकर आदित्य आण्णासो शेजाळ कर लिया है, जो भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

I have changed my Name from Sareen Ahmed to Sarin Ahmed for all Future purposes. Sarin Ahmed D/o Late Shakeel Ahmed R/o 3684-85 Near Kabadia Masjid, Babu ka Tiba, Ramganj Bazar, Jaipur.

I Shashi Prabha legally wedded spouse of army no JC 752251L Ex NAIB SUB Late Ram awtar resident of plot no 1 Dev nagar A murlipura jaipur that I want to change my name from SASHI BALA to SHASHI PRABHA vide affidavit dated 21 sep 2026 before sub divisional magistrate Jaipur south

I have changed my name from Parekh Nishrin Abdullah to Nishrin A Ratlamwala. In the future, I should be known as Nishrin A Ratlamwala, wife of Shri Aliakbar Ratlamwala. Resident of: Flat No. 409, 4th Floor, Param Elegant, Vaishali Elegance, Lalarpura, Gandhi Path West, Jaipur, Rajasthan-302021.

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या उर्मिला शर्मा पत्नी रविन्द्र कुमार शर्मा, निवासी प्लाट नं0 63/32, हीरापथ, आई. सी.आई.सी.आई. बैंक के पास, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राज0) आधार कार्ड संख्या 8630 0334 7529) की स्वअर्जित सम्पत्तियां 45/142, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर व 405, चौथा फ्लोर, विनायक होम्स 2 सोसायटी, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर पर स्थित है। मेरी अभिभाष्या का पुत्र अविनाश शर्मा पुत्र श्री रविन्द्र कुमार शर्मा मेरी अभिभाष्या के कहने में नही हैं, मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र अविनाश शर्मा एवं पुत्र वधु कोमल शर्मा को अपनी चल व ऊपर वर्णित दोनों अचल सम्पत्तियों से भी बेदखल कर दिया है, यदि कोई व्यक्ति अविनाश शर्मा व मेरी पुत्र वधु कोमल शर्मा से किसी प्रकार का संव्यवहार या लेन-देन करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरी अभिभाष्या की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी, कृपया सूचित रहे।

(नितिश कुमार भारद्वाज) एडवोकेट
दिनांक-26/9/26 मोबाईल : 9829659619

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

डी.आर.एम./कर्षण वितरण, उ.प.रे. जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के वास्ते एवं मंडल की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। 1. सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता : https://www.ireps.gov.in 2. ई- निविदा खोलने की तिथि व समय : 19.10.2026 को 15.00 बजे तक 3. ई-निविदा खोलने की तिथि व समय : 19.10.2026 को 15.00 बजे के बाद निविदा संख्या : GSU-ELECT-JU-04-2026-27 कार्य का नाम : Electrical TRD Work in connection with augmentation of DEMU maintenance facilities at DEMU Shed Merta Road. कार्य की अनुमानित लागत (रूपये) : Rs. 85020380.25 विस्तृत जानकारी हेतु कृपया https://www.ireps.gov.in पर विजिट करें। 1387-DI/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू स्थान जिला जयपुर
प्रभूलाल विरूद्ध रजय माथुर
वाद बाबत-....
वाद संख्या-6708 सन् 2026

बनाम राजेन्द्र भारद्वाज पुत्र स्व.नारायणलाल जाति ब्राह्मण स्थान नि. डी-82 श्याम नगर खातीपुरा रोड जयपुर

...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद पंजीयत किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 28 माह 09 सन् 2026 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सक्ते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे कें समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज ता. 23 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत — रीडर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चाकसू

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू स्थान जिला जयपुर
प्रभूलाल विरूद्ध रजय माथुर
वाद बाबत-....
वाद संख्या-6708 सन् 2026

बनाम राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति बैरवा स्थान ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद पंजीयत किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 28 माह 09 सन् 2026 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सक्ते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे कें समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज ता. 23 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत — रीडर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चाकसू

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 740/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री राजदीप शर्मा, ग्राम मान्यावास, तहसील-सांगानेर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री गोविन्द देव जी (ठाकुर जी महाराज) मंदिर ट्रस्ट, ग्राम-मान्यावास, तहसील सांगानेर, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 25.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.11.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-12/2026/डी- दिनांक : 26.09.2026

ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 190, 209, 230, 741/191, 742/191, 745/210 कुल किता 06 रकबा 1.5600 हैक्टयर भूमि में आवासीय योजना श्याम एन्क्लेव का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 394 वीं बैठक दिनांक 06.05.2025 को किया जाकर योजना का नियमन शिविर आयोजित किया जा चुका है। उक्त योजना का सृजन निजी खातेदार/विकासकर्ता श्री मांगीलाल पुत्र श्री छीतरमल जाट निवासी ग्राम भोज्यावास सिरसी रोड, भांकरोटा सांगानेर, जयपुर के द्वारा किया गया। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार निजी खातेदार/विकासकर्ता श्री मांगीलाल पुत्र श्री छीतरमल जाट की मृत्यु दिनांक 17.07.2026 को हो गई है व शपथ पत्र/सजरा पत्र के अनुसार श्री मांगीलाल जाट पुत्र स्व. श्री छितर मल जाट के श्रीमती फूली देवी (पत्नी), कृष्ण लाल जाट, प्रकाश चौधरी (पुत्रान) होना बताया गया है इनके अलावा अन्य कोई वैधानिक वारिस नहीं होना बताया गया है। श्रीमती फूली देवी पत्नी स्व. मांगीलाल चौधरी व प्रकाश चौधरी पुत्र स्व. श्री मांगी लाल चौधरी के द्वारा रजिस्टर्ड मुख्यत्यारनामा के द्वारा उक्त योजना से संबंधित समस्त कार्य करवाये जाने हेतु श्री कृष्ण लाल जाट पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया तथा साथ ही श्री कृष्ण लाल जाट पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाट के द्वारा उक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज किये जाने हेतु आवेदक द्वारा जाने कार्यालय में प्रार्थना पत्र मय उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अतः उक्त दस्तावेजो के आधार पर रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर उपायुक्त जोन-12 पार्किंग बिल्डिंग तृतीय मंजिल में प्रस्तुत करें अन्यथा नियत तिथि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन-12

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर-302015, Tele Fax : 0141-2711075
EPABX :0141-2713666-69, ई-मेल: jaipurdairy@jaipurdairy.com वेबसाइट :www.jaipurdairy.com

निविदा/ई-निविदा सूचना

1. NIB No :CDF2627A0743 जयपुर दुग्ध संघ द्वारा Operation & Maintenance of MVR Evaporator & ATFD Plant Of Capacity-40 KLD At Jaipur Dairy के कार्य हेतु 2. NIB No : CDF2627A0744 जयपुर दुग्ध संघ द्वारा इच्छुक पार्टियों से जयपुर डेयरी से जम्मू कश्मीर क्षेत्र, लेह लददाख क्षेत्र, राजस्थान और आस-पास के राज्यों का क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र में सेना के विभिन्न डिपो और डेरा व्यास अमृतसर (पंजाब) में UHT MAP MILK के परिवहन के लिए 3. NIB No : CDF2627A0745 जयपुर दुग्ध संघ के जयपुर संयंत्र में Different Varieties Of Sweet Manufacturing & Packing Work At Jaipur Dairy के कार्य हेतु 4. NIB No : CDF2627A0746 जयपुर दुग्ध संघ में Ice Cream Cone/ Candy/Shrikhand Packing Material, General Hardware/Plumbing/Safety Items/ Tools and Consumables Items, Steam/Water Valve, Cfc For 100Gm Dahi Cup Ammonia Gas, Hose Pipe For Water/Steam/Milk की आपूर्ति हेतु 5. NIB No CDF2627A0747 जयपुर दुग्ध संघ में Ghee Tin 1 Ltr, Adulteration Testing Kit, M.S. Angle/Channel/ Flat/Round Rod/SS Sheet/GI/MS Fitting Etc., ETP Chemical, Metalised Paneer Bag For 200Gm/1Kg की आपूर्ति हेतु 6. NIB No CDF2627A0749 जयपुर दुग्ध संघ द्वारा इच्छुक पार्टियों से जयपुर डेयरी संघ परिसर मे निकलने वालें टिन स्क्रेप की नीलामी निविदा के माध्यम से टू बिड़ सिस्टम (Two Bid System) के अन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-टेण्डर के माध्यम से ऑनलाइन (इक्ट्रोनिक प्रारूप मे) दरे आमन्त्रित की जाती है। 7. NIB No : CDF2627A0750 जयपुर दुग्ध संघ द्वारा डेयरी संयत्र से परिवहन 0 से 60 कि.मी. की परिधि में घी-पाऊड़र एवं अन्य सरस उत्पाद के भण्डार हेतु दो वर्ष के लिए गोदाम किराये हेतु 8. NIB No : CDF2627A0751 जयपुर दुग्ध संघ द्वारा इच्छुक पार्टियों से जयपुर डेयरी संघ परिसर मे निकलने वालें पुराने प्लास्टिक जरीकेन (25/50 ली.) स्क्रैप की नीलामी निविदा के माध्यम से टू बिड़ सिस्टम (Two Bid System) के अन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षर युक्त, 9. NIB No : CDF2627A0748 जयपुर दुग्ध संघ में Paneer Manufacturing & Packing Work व Dahi Packing & Manufacturing Work की सेवाओं हेतु, 10. NIB No : CDF2627A0757 पशु आहार संयन्त्र कालाडेरा पर LITHUIM GREASE की आपूर्ति, 11. NIB No : CDF2627A0758 पशु आहार संयन्त्र कालाडेरा पर BAG CLOSING YARN की आपूर्ति। उपरोक्त कार्यो के लिये निविदाएं/ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। जिनकी विस्तृत जानकारी, शर्ते एवं महत्वपूर्ण दिनांक इत्यादि संघ की वेबसाईट www.jaipurdairy.com, http://eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं।

प्रबन्ध संचालक

जीवन में भरे रस, हमारा प्यारा सरस